बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

27 फाल्गुन, 1938 (श.)

शनिवार, तिथि ----------

18 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 22

1.	लघु जल संसाधन विभाग	....	....	04
2.	गृह (विशेष) विभाग	....	....	04
3.	जल संसाधन विभाग	....	....	02
4.	गृह (आरक्षी) विभाग	....	....	06
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	....	....	02
6.	पर्यावरण एवं वन विभाग	....	....	01
7.	श्रम संसाधन विभाग	....	....	01
8.	परिवहन विभाग	....	....	02

			कुल योग –	**22**

स्टेट बोरिंग चालू कबतक

* 239. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा मजुराहों पंचायत से होते हुए बड़ा बरियारपुर पंचायत के टाली टोला होते हुए मोतिहारी प्रखंड की बसवरीया पंचायत के किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु स्टेट बोरिंग का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विभाग के बड़ा बरियारपुर पंचायत के एन.एच.-28 ए से बड़ा बरियारपुर चौक से होते हुए टाली टोला, बसवरीया जाने वाली स्टेट बोरिंग के नहर को मिट्टी भरकर तथा उक्त जमीन को जाली कागजात बनाकर बिक्री करने तथा उसपर भवन का निर्माण कराया गया है जिससे किसानों की खेती समय पर पटवन सिंचाई के कारण नहीं हो पाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित स्टेट बोरिंग को चालू कराने तथा उक्त स्थान नहर पर बने भवन का निर्माण जो अवैध है तथा नहर को मिट्टी भर दिया गया फिर से चालू करने तथा विभागीय पदाधिकारी की मिलीभगत से सिंचाई नहीं हो पाने के कारण पदाधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई कर फिर से स्टेट बोरिंग टाली टोला बड़ा बरियारपुर एन.एच.-28 ए से चालू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 240. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मोकामा नगर परिषद् के वार्ड नं.-22 मौजा साहबेगपुर में कुल मिलाकर 58 डिसमिल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से जमीन अतिक्रमित एवं असुरक्षित स्थिति में है;

(ख) क्या यह सही है कि मौजा साहबेगपुर खाता सं.-921, खेसरा सं.-2086, रकबा 23 डिसमिल, थाना नं. 49 एवं खाता नं.-764, खेसरा नं.-2087, रकबा 35 डिसमिल कुल मिलाकर 58 डिसमिल है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

तटबंधों पर पक्की सड़क

***** 241. **श्री मो. तनवीर अख्तर** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी तटबंध पर सरकार ने पक्कीकरण का निर्णय लिया था;

(ख) क्या यह सही है कि दोनों पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध में पक्कीकरण का कार्य अधूरा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे तटबंधों पर पक्की सड़क बनवाने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

थाना का दर्जा

***** 242. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि नेपाल बॉर्डर पर स्थित सुपौल जिला के भीमनगर में पुलिस ओ.पी. अवस्थित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नेपाल बॉर्डर पर स्थित होने के कारण भीम नगर ओ.पी. की संवेदनशीलता एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस ओ.पी. को थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बांध एवं पईन का निर्माण

***** 243. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के डुमरिया प्रखंड अन्तर्गत पंचायत पनकरा ग्राम पुरखानचक के पास भुतही नदी में बांध एवं पईन नहीं रहने से स्थानीय किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थान पर बांध एवं पईन का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

भवन एवं वर्कशेड का निर्माण

***** 244. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप सभी महादलित टोलों में सामुदायिक भवन एवं वर्कशेड निर्माण का आदेश है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रति सामुदायिक भवन एवं वर्कशेड का निर्माण 20.00 लाख रुपये की लागत से महादलित विकास निगम के माध्यम से होना था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो अबतक किन-किन महादलित टोलों में सामुदायिक भवन/वर्कशेड का निर्माण करा लिया गया है, इसकी जानकारी सरकार देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

त्वरित कार्रवाई

***** 245. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सारण के डेरनी थाना क्षेत्र के भगवानपुर के समीप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर एवं मुंशी को सोयी हुई अवस्था में अपराधियों ने गोलियों से भून डाला;

(ख) क्या यह सही है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी दिघवारा से भेलही तक की सड़क और कुछ पुलों का निर्माण करा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अपराधियों को चिन्हित कर जेल भेजना चाहती है तथा बिहार में गिरती कानून व्यवस्था पर रोक लगाने हेतु आवश्यक एवं त्वरित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

प्रदूषण मुक्त बनाने पर विचार

***** 246. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना देश के सबसे प्रदूषित शहरों में 7वें स्थान पर है;

(ख) क्या यह सही है कि ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में प्रदूषित हवा की वजह से पटना में 2600 लोगों की मौत हुई, 2 लाख लोग अस्थमा से पीड़ित हुए और 1100 लोगों को हार्ट अटैक आया;

(ग) क्या यह सही है कि विभाग की लापरवाही से पटना समेत राज्य के कई शहरों में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राजधानी पटना को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सदस्य के रूप में मनोनीत

***** 247. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के दिशा-निर्देशों के आलोक में श्रम संसाधन विभाग द्वारा गठित त्रिपक्षीय समिति बोर्ड में श्रमिक पक्ष का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय श्रमिक संघ के सदस्य संख्या के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 के सदस्यता सत्यापन में बिहार के एटक की सदस्य संख्या सर्वाधिक रही है बावजूद श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा गठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण बोर्ड में एटक, बिहार द्वारा नामित श्री नारायण पूर्वे को स्थान नहीं दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा स्वीकृत परंपरा एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दिशा निर्देश के आलोक में एटक द्वारा नामित श्री पूर्वे एवं अन्य सन्निर्माण बोर्ड में श्रमिक पक्ष से सदस्य के रूप में मनोनीत करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) वस्तुस्थिति यह है कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियम नियमावली, 2005 के नियम 251(iii) में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन के संबंध में यह अंकित किया गया है कि "राज्य सरकार द्वारा मनोनीत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधित्व करनेवाले अधिकतम पांच व्यक्ति जिसमें एक सदस्य महिला होगी।" इस नियम के आलोक में बोर्ड का गठन किया गया है।

(ख) कंडिका 'क' में उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है।

(ग) कंडिका 'क' में उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है।

विद्यालय का निर्माण

***** 248. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, बक्सर, चौतरबा में है;

(ख) क्या यह सही है कि आवासीय विद्यालय में भवन नहीं रहने के कारण शिक्षण कार्य में कठिनाई होती है;

(ग) क्या यह सही है कि आवासीय विद्यालय में कितने बच्चों को रखने की क्षमता है, अभी कितने बच्चे रहते हैं, बच्चों के अनुरूप आवासीय विद्यालय में कितने शिक्षक हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

किराया का निर्धारण

***** 249. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले में जिला मुख्यालय से विभिन्न स्थानों पर जाने हेतु किराया निर्धारित नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि किराया के नाम पर निजी वाहन मालिकों द्वारा मनमाना किराया लेकर यात्रियों को आर्थिक दोहन किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक किराया निर्धारित करते हुए यात्रियों को निजी वाहन मालिकों के आर्थिक दोहन से मुक्त करते हुए किराया का निर्धारण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चालू कराने पर विचार

***** 250. **श्री सच्चिदानंद राय** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि छपरा जिलान्तर्गत प्रखंड - अमनौर की पंचायत-अपहर में स्टेट बोरिंग का निर्माण वर्ष 2010 में कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बोरिंग को आजतक चालू नहीं किया जा सका है जिसके कारण किसानों को सिंचाई हेतु काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नवनिर्मित बोरिंग को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

योजना का लाभ

***** 251. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि श्री केदार शुक्ल, सीतामढ़ी द्वारा जे.पी. सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत दिनांक 23.07.2011 को ही प्रतिवेदन दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि स्वीकृति समिति द्वारा दिनांक 07.09.11 को सत्यापन के लिए आवेदन पत्रांक-677, दिनांक 28.09.11 के द्वारा आई.जी. पेंशन भेजा गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री केदार शुक्ल को जे.पी. सेनानी सम्मान योजना का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

यथाशीघ्र मरम्मती

***** 252. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकांश राजकीय नलकूप खराब होकर बंद पड़े हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राजकीय नलकूपों के चालू नहीं रहने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए महंगे दर पर पानी खरीदना पड़ता है जिससे किसानों में आक्रोश है;

(ग) क्या यह सही है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने विभाग को नलकूपों की मरम्मती नहीं कराए जाने को लेकर फटकार लगायी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खराब पड़े सभी नलकूपों की यथाशीघ्र मरम्मती कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मुकदमों का लेखा-जोखा

***** 253. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित अत्याचार निवारण अधिनियम, 1995 पूर्णरूपेण लागू है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ित परिवारों के संरक्षण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना की स्थापना की गई है तथा न्यायालयों में पीड़ित को न्याय दिलाने हेतु सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों को व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक का मनोनयन किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों में पुलिस को 30 दिनों के अंदर आरोप पत्र न्यायालयों में समर्पित करना है, न्यायालयों में समय से आरोप पत्र समर्पित नहीं होने के कारण अभियुक्त पक्ष को न्यायालय से जमानत लेने में लाभ मिल जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतलाएगी कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 से 2016-17 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न से संबंधित कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं तथा कितने मुकदमों में आरोप पत्र समर्पित हुआ है तथा कितने मुकदमे अनुसंधान की प्रक्रिया में हैं और कितने न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में कितने अभियुक्त दोषी पाये गये हैं तथा कितने दोषमुक्त किये गये हैं?

नदी के तल की सफई

***** 254**. श्री विनोद नारायण झा** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के कमला बलान नदी में पिपरा घाट पुल से झंझारपुर रेल पुल तक कमला नदी में गाद जमा हो जाने के कारण नदी की सतह काफी ऊपर हो गई है जिससे सामान्य पानी आने पर भी बाढ़ का खतरा बना रहता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित स्थलों के बीच गाद को निकाल कर नदी की सतह को ठीक करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

जीविकोपार्जन हेतु व्यवस्था

***** 255. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना अन्तर्गत पालीगंज में झारखंड एवं स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी कर इनामी कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा को पकड़ने के क्रम में निर्दोष पालीगंज के सरपंच रामनाथ प्रसाद की निर्मम हत्या कर दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार राज्य पुलिस द्वारा इस संबंध में सनहा दर्ज किया गया परंतु दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि पालीगंज के सरपंच स्व. रामनाथ प्रसाद के परिजनों को उनकी मृत्यु के उपरांत आज तक सरकार की तरफ से ना ही किसी प्रकार के मुआवजे की राशि उपलब्ध करायी गई है और ना ही मृतक के परिजनों में से किसी को सरकारी नौकरी दिलाई गयी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने तथा मृतक के परिजनों के जीविकोपार्जन हेतु सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शीघ्र कार्रवाई

***** 256. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास थाना कांड संख्या-290/16, दिनांक 29.09.2016 एवं कांड संख्या-292/16, दिनांक 31.10.2016 के अभियुक्तों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कांड के अभियुक्तों ने अपने बचाव में मनगढ़ंत एवं झूठा फुलपरास थाना कांड संख्या 292/16, दिनांक 01.10.2016 दर्ज कराया है;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित कांड की पीड़ित परिवार की एक महिला श्रीमती पिंकी देवी, पति-श्री सुभाष मंडल ने दिनांक 05.01.2016 को पुलिस अधीक्षक, मधुबनी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलपरास को न्याय देने हेतु एक ज्ञापन समर्पित की है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करना चाहती है?

बसें चलाने पर विचार

***** 257. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य परिवहन निगम की बसें पटना से सीतामढ़ी जिला के महुआगाछी पुपरी-चौरौत-मधवापुर आदि रूटों पर नहीं चलने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त स्थानों पर राज्य परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कौन-सी कार्रवाई

***** 258. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि उपेन्द्र राय, ग्राम-पो.- बलौर, भाया-केवटसा-बरूआरी, जिला-मुजफ्फरपुर ने प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 26.8.2016 को आवेदन पत्र हस्तगत कराया था;

(ख) क्या यह सही है कि प्रेम कुमार गुप्ता 'प्रेम', अवर सचिव, जन शिकायत कोषांग, गृह विभाग, बिहार, पटना ने अपने का. ज्ञापांक-6860, दिनांक 30.09.2016 के द्वारा उपेन्द्र राय को पत्र द्वारा सूचना दी है कि मुजफ्फरपुर एस.एस.पी. को यथोचित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया;

(ग) क्या यह सही है कि कृत कार्रवाई से आवेदक उपेन्द्र राय को अवगत कराने हेतु निर्देश दिया गया था;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त पत्र के आलोक में स्थल पर किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं की गयी और न किसी तरह की सूचना उपेन्द्र राय को दी गई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त आवेदन के आलोक में सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

कार्रवाई से अवगत नहीं

***** 259. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सक्षम न्यायालय, झंझारपुर के आदेश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी के विरुद्ध अंधराठाढ़ी कांड संख्या-130/16, दिनांक 08.11.2016

अंकित किया गया, जिस आलोक में अब तक किसी प्रकार की समुचित कार्रवाई नहीं की गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि सक्षम न्यायालय, झंझारपुर ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी के विरुद्ध धारा 156(03) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने हेतु दिनांक 19.01.2016 को ही अंधराठाढ़ी थानाध्यक्ष को आदेश दिया था, किन्तु 10 (दस) माह तक अंधराठाढ़ी पुलिस के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर मामले को दबा कर रखा गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ने इस दिशा में अबतक क्या कार्रवाई की है और यदि नहीं की है तो इसका क्या औचित्य है और क्या सरकार अब भी कोई कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कौन-सी और कबतक और नहीं तो क्यों?

अनुसंधान अबतक नहीं

***** 260. **डॉ. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दिनांक 23.09.2016 को बोरिंग रोड पटना स्थित अपराजिता गर्ल्स इंस्टीच्यूट, पटना में मधुबनी जिला की मुस्कान, जो आकाश इंस्टीच्यूट में पढ़ती थी कि हत्या उक्त छात्रावास में हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन ने बुद्धा कॉलोनी थाना में केस नं.-295/16 दर्ज किया है;

(ख) क्या यह सही है कि मृत्यु से पूर्व मुस्कान ने अपनी माता से मानसिक प्रताड़ना के बारे में रूम पार्टनर आर्या एवं मेघा तथा छात्रावास संचालिका की शिकायत की थी, तदनुसार उसकी माता ने छात्रावास की संचालिका श्रीमती वीणा सिंह को अलग रूम में शिफ्ट करने हेतु अनुरोध किया था, परन्तु संचालिका ने ऐसा नहीं किया;

(ग) क्या यह सही है कि मृत्यु के बाद छात्रावास संचालिका ने छत से गिरने की बात कही, गिरने के पश्चात् उदयन हॉस्पीटल, पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड, पटना में ले जाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था;

(घ) क्या यह सही है कि मुस्कान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने ओपिनियन में लिखा है कि शरीर के विभिन्न भागों में इंजूरी है। इससे यह प्रतीत होता है कि किसी के द्वारा हत्या की गई है, पुलिस ने अभी तक इस संबंध में अनुसंधान नहीं किया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित केस संख्या को एक माह के अंदर अनुसंधान कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ताकि मृतक के परिजन को न्याय मिल सके, यदि नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 18 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्